

26/3/2024

काफली वेडा डडी अखिवस्ता प्रार्थिगण उपस्थित
विपक्षीगण की तलवी के नोलीन बार तामिल
प्राप्त । विपक्षीगण अनुपस्थित । न्यायालय समय
में रुक-रुक कर कई बार आवाज लगवाने
पर भी विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके
विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए
जाते हैं । बहस प्रकरण अखिवस्ता प्रार्थिगण
शुनी गयी ।

2021

79A

हमने काफली का अवलोकन कर बहस
अखिवस्ता प्रार्थिगण पर भजन किया । नकल
जमावती संख्या 2068-2071 अजुना (गुम
गुम ओडुन्द प. ह. ओडुन्द तल्लील चिल्लेगट
के खता संख्या 107 में वर्णित आरागी संख्या

-- -- लगातार



(श्याम सुन्दर बिस्नोई)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चिन्नीगट (रा.)



1248 रकबा 0.56, 1663/1242 रकबा
 0.10 तथा 1665/1247 रकबा 0.20 की
 3 रकबा 0.86 हे. के प्राचीन खेतदार-
 हैं। अतः प्राचीन का प्राचीन का अन्तर्गत
 धारा 128 पर भी स्वीकार किया जाकर
 प्राचीन की ग्राम आंदोलन तहसील चित्तौड़गढ़
 लिखत खेतदारी की आशुजी 1248, 1663/124
 1665/1247 की 3 कुल रकबा 0.86 हे.
 की भूमि की बिना किसी के कलेजे में दखलाने
 किए सेटलमेंट नम्बरो अनुसार पत्थरगढी किए
 जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी शुल्क
 1000 रु. ऊपर एक हजार रु. प्राचीन
 वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़
 को लिखवा जसे के पक्षकारान को लिखित
 सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की जसे
 एवं पालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।
 निर्णय लिखाया जाकर तसे इजलास सुनाया
 गया। पत्रावली कोलाल शुभार होकर नम्बर
 से काम हो।

2021
 79

(श्याम सुन्दर विष्णोई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)